न्यूज़ टुडे

सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-2026 में परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित करने की घोषणा की

यह कदम **विकसित भारत** के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है। इससे ऊर्जा की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी।

परमाणु ऊर्जा मिशन की मुख्य विशेषताएं

- **लक्ष्य: 2047 तक 100 गीगावाट** (GW) परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना। वर्तमान क्षमता लगभग 8 GW है।
- **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) पर फोकस:** स्वदेशी SMRs विकसित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु **20,000 करोड़ रुपये** आवंटित किए जाएंगे। साथ ही, **2033 तक पांच** SMRs को **चालू** करने का लक्ष्य भी तय किया गया है।
- **निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** इसके लिए निम्नलिखित प्रमुख कानूनों में संशोधन किए जाएंगे:
  - **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962:** यह परमाणु ऊर्जा के **विकास, नियंत्रण और उपयोग** के लिए प्रावधान करता है। साथ ही, **बुनियादी विनियामकीय फ्रेमवर्क** भी प्रदान करता है।
  - **परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम, 2010:** यह अधिनियम परमाणु दुर्घटना के लिए संचालक को उत्तरदायी ठहराकर **पीड़ितों के लिए शीघ्र मुआवजा सुनिश्चित** करता है।

भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **क्षमता विस्तार: गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश** में 10 रिएक्टर्स का निर्माण व उन्हें चालू करने का कार्य जारी है। इनकी कुल क्षमता लगभग 8 GW है।
- **स्वदेशी उपलब्धियां: राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के यूनिट-7 (RAPP-7)** ने 2024 में **क्रिटीकेलिटी** के स्तर को हासिल कर लिया है। यह भारत के सबसे बड़े स्वदेशी रिएक्टर्स में से एक है।
- **भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs):** सरकार BSRs विकसित करके और निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी की संभावनाओं की तलाश करते हुए अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक का विस्तार कर रही है।
  - **भारत स्मॉल रिएक्टर्स (BSRs):** ये **220 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स** (PHWRs) हैं। ये सुरक्षा और प्रदर्शन के नजरिए से प्रमाणित रिएक्टर्स हैं।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) के बारे में

- **परिभाषा:** ये उन्नत परमाणु रिएक्टर्स होते हैं। इनकी **प्रति यूनिट 300 मेगावाट-इलेक्ट्रिक** (MW)(e) तक की विद्युत उत्पादन क्षमता होती है। यह क्षमता परंपरागत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स के लगभग **एक तिहाई** के बराबर है।
- **SMRs की मुख्य विशेषताएं:**
  - **मॉड्यूलर निर्माण:** SMRs को फैक्ट्री में बनाया जाता है और बाद में साइट पर स्थापित किया जाता है। अतः इसमें ऑन साइट कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है।
  - **इंक्रीमेंटल डिप्लॉयमेंट:** इन्हें एकल या बहु-मॉड्यूल के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ती मांग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
- **लाभ:**
  - इसमें कम प्रारंभिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है;
  - यह परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा सहित वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकृत करने की संभावना प्रदान करता है आदि।

केंद्रीय बजट 2025 में सीमा शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया

सीमा शुल्क दरों में प्रस्तावित महत्वपूर्ण बदलाव

- सीमा शुल्क दरों की कुल संख्या को **शून्य कर दर सहित 15 से घटाकर 8** कर दिया गया है।
- **एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाने** का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए, उन **82 वस्तुओं पर सामाजिक कल्याण अधिभार** (Social Welfare Surcharge) **से छूट** दी गई है, जिन पर पहले से ही कोई अन्य उपकर लागू है।
- कुछ वस्तुओं को छोड़कर उपयुक्त उपकर आरोपित किए जाएंगे, ताकि प्रभावी शुल्क आरोपण बना रहा।

महत्त्व

- **टैरिफ/ ट्रेड वॉर** के मद्देनजर भारत द्वारा **सीमा शुल्क व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, घरेलू उद्योगों का संरक्षण करते हुए महत्वपूर्ण आयातों को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता** को दर्शाता है।
  - ज्ञातव्य है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन पर व्यापक टैरिफ लगाकर **ट्रेड वॉर को सक्रिय** कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप, चीन ने **जवाबी कार्रवाई** की थी।
- अमेरिका द्वारा आरोप लगाया जाता रहा है कि **भारत बहुत उच्च सीमा शुल्क संबंधी उच्च टैरिफ वाला देश है**। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अतः सीमा शुल्क संरचना के तहत शुल्क के युक्तिकरण से भारत को यह छवि बदलने में भी मदद मिलेगी।

ट्रेड वॉर क्या है?

- ट्रेड वॉर तब होता है, जब देश **आयात-निर्यात** पर प्रशुल्क (Tariff) या **अन्य व्यापारिक बाधाएं** लगाते हैं। इससे **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित** हो सकती हैं, लागत बढ़ सकती है और **आर्थिक संवृद्धि धीमी** हो सकती है।

भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रेड वार के प्रभाव से कैसे बचा रहा है?

- **घरेलू विनिर्माण को मजबूत करके:** इसके लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, मेक इन इंडिया आदि पहलें शुरू की गई हैं।
- **व्यापार साझेदारों में विविधता लाकर:** इस संबंध में **संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ** के साथ व्यापार समझौते किए गए हैं।
- **अन्य:** इसमें चीन पर निर्भरता को कम करना (चीन+1 रणनीति), रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे उपाय शामिल हैं।

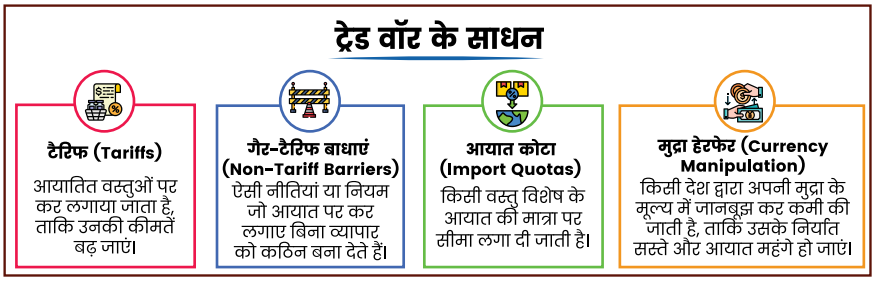

यूरोपीय संघ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिनियम के तहत AI साक्षरता और प्रतिबंधित प्रणालियों पर नियम लागू हो गए

नवीन **AI साक्षरता दायित्वों** के तहत, AI टूल उपलब्ध कराने वालों (Providers) और परिनियोजनकर्ताओं (Deployers) को **अपने कर्मचारियों एवं AI सिस्टम के साथ काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए AI साक्षरता का पर्याप्त स्तर सुनिश्चित** करना होगा।

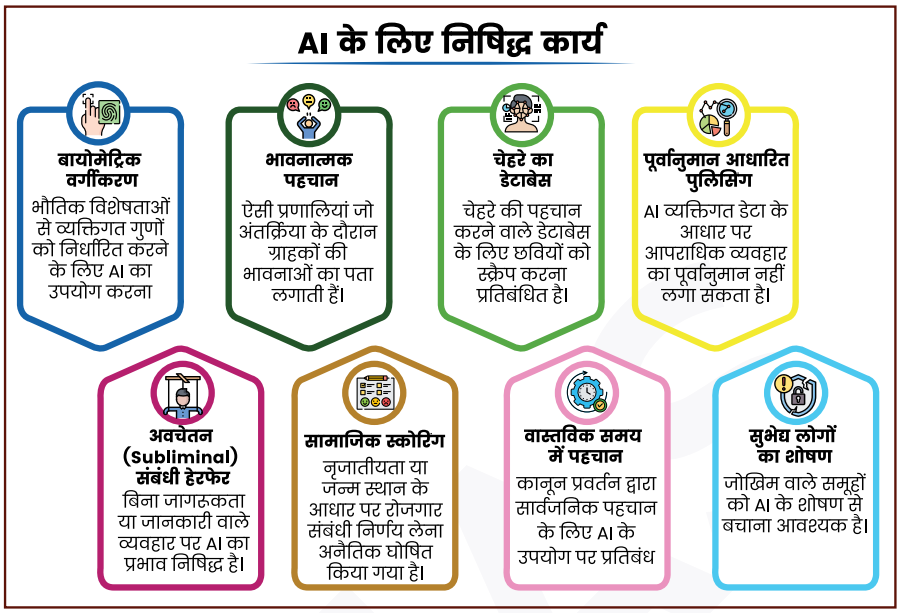

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम

- **उत्पत्ति:** यूरोपीय संघ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिनियम AI के लिए दुनिया का पहला व्यापक कानूनी ढांचा है। यह अधिनियम **2024 में आंशिक रूप से लागू हो गया है तथा 2026 तक पूरी तरह से लागू** किया जाएगा।
- **अप्रोच:** यह अधिनियम विनियमन के लिए **जोखिम-आधारित दृष्टिकोण** को अपनाता है तथा जोखिम के स्तर के अनुसार AI पर अलग-अलग नियम लागू करता है।
- **निषेध:** अधिनियम में **नैतिकता, सुरक्षा और पारदर्शिता** के महत्त्व पर जोर देते हुए AI के लिए निषिद्ध कार्यों की सूची दी गई है (चित्र देखें)।

AI अधिनियम के प्रभाव

- **वैश्विक प्रभाव:**
  - **मानव-केंद्रित फोकस:** यह अधिनियम मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, भेदभाव को रोकता है तथा नैतिक क्षेत्र में AI को बढ़ावा देता है। साथ ही, अपनाने में वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद एवं जिम्मेदार AI को बढ़ावा देता है।
  - **AI विनियमन के लिए वैश्विक बेंचमार्क:** अन्य देश भी इसी तरह के ढांचे को अपना सकते हैं तथा अपने AI संबंधी विनियमों को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप बना सकते हैं।
  - **अनुपालन लागत में वृद्धि:** गैर-यूरोपीय संघ कंपनियों को अधिनियम के अनुपालन के लिए अपने AI सिस्टम को अनुकूलित करने हेतु अतिरिक्त खर्चा करना पड़ सकता है।
- **भारत पर प्रभाव:**
  - **जोखिम-आधारित विनियमन:** भारत की AI नीति जोखिम-आधारित दृष्टिकोण से लाभान्वित हो सकती है। इसमें AI अनुप्रयोगों को उनके संभावित सामाजिक प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - **वैश्विक मानकों के साथ संरेखण:** भारत के AI विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने से वैश्विक सहयोग बढ़ सकता है। साथ ही, भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सकती है।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) आधिकारिक रूप से प्रभावी हुआ

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) आधिकारिक तौर पर एक **पूर्ण संधि आधारित अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी इकाई** के रूप में प्रभावी हो गया है।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के बारे में

- **परिचय:** IBCA का **मुख्यालय भारत** में स्थित है। यह **बहु-राष्ट्रीय और बहु-एजेंसी गठबंधन** है।
  - इस गठबंधन में **95 ऐसे देश शामिल हैं, जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियों के पर्यावास** हैं। साथ ही, इसमें वैसे देश भी शामिल है, जहां **बड़ी बिल्ली प्रजातियों के पर्यावास नहीं हैं, लेकिन वे इनके संरक्षण में रुचि** रखते हैं।
- **उत्पत्ति:** IBCA को **भारत के प्रधान मंत्री ने 2023** में लॉन्च किया था। इसे **'प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने'** के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:** सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों (**बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा**) के संरक्षण को बढ़ावा देना।
- **मुख्य लक्ष्य:**
  - बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण से जुड़े **अलग-अलग हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित** करना।
  - **सफल संरक्षण पद्धतियों और विशेषज्ञता को एकीकृत** करना, जिससे वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण का एक साझा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- **फ्रेमवर्क समझौते की डिपॉजिटरी:** भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA)।
- **वर्तमान सदस्य देश: निकारगुआ, एस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया** ने फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर IBCA के औपचारिक सदस्य बनने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों की संरक्षण स्थिति

बड़ी बिल्ली प्रजातियां (Big Cats)	IUCN रेड लिस्ट श्रेणी	CITES दर्जा	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस)	एंडेंजर्ड	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
शेर (पैंथेरा लियो)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
हिम तेंदुआ (पैंथेरा अन्सिया)	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
चीता (एसिनोनिक्स	वल्नरेबल	परिशिष्ट-I	अनुसूची-I
जगुआर (पैंथेरा ओंका)	नियर थ्रेटेन्ड	परिशिष्ट-I	भारत में नहीं पाई जाती
प्यूमा (प्यूमा कॉनकलर)	लीस्ट कंसर्न	परिशिष्ट-I	भारत में नहीं पाई जाती

केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुति के दौरान 'राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन' की घोषणा की

इस मिशन का उद्देश्य भारत के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण की हिस्सेदारी को मौजूदा 17% से बढ़ाकर 25%** करना है। लक्ष्य वर्ष 2025 रखा गया है। केंद्रीय बजट 2025-2026 में विनिर्माण क्षेत्रक के लिए अन्य पहलों की भी घोषणा की गई।

राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के बारे में

- **मिशन का उद्देश्य:** "मेक इन इंडिया" पहल के तहत लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों का समर्थन करना।
  - **मेक इन इंडिया:** इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य **भारत को डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र** में बदलना है।
- **अधिदेश: इस मिशन में मुख्य रूप से पांच फोकस क्षेत्र शामिल होंगे-**
  - व्यापार करने में सुगमता और लागत,
  - मांग वाली नौकरियों के लिए कौशल उन्नयन,
  - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME),
  - प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और
  - गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।
- **उद्देश्य:** केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए **नीतिगत समर्थन, निष्पादन रोडमैप तथा गवर्नेंस फ्रेमवर्क** प्रदान करना।
- **स्वच्छ तकनीक आधारित विनिर्माण:**
  - यह मिशन सतत विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में स्वच्छ तकनीक आधारित विनिर्माण का समर्थन करेगा।
  - **उद्देश्य:** घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार करना तथा सौर PV सेल, EV बैटरी, मोटर व नियंत्रक, इलेक्ट्रोलाइजर, पवन टरबाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करना।
- **महत्त्व:**
  - स्वच्छ तकनीक क्षेत्रक में चीन के प्रभुत्व को प्रतिसंतुलित करने में मदद मिलेगी;
  - वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था का एकीकरण होगा आदि।

केंद्रीय बजट 2025-26 में 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के लिए आवंटन बढ़ाया गया

केंद्रीय बजट 2025-26 में **'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के लिए आवंटन 80% बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये** किया गया।

- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वर्ष 2024 में शुरू की गई थी। यह **'दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा पहल'** है। **यह पहल भारत के ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन** ला रही है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में

- **कार्यान्वयन मंत्रालय: केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।**
- **परिव्यय:** इस योजना के लिए **75,021 करोड़ रुपये** का बजट आवंटित किया गया है और इसे **वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू** किया जाएगा।
- **उद्देश्य:**
  - घरों पर **रूफटॉप सोलर (RTS) प्रणाली** स्थापित करना।
  - **1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली** प्रदान करना।
- **योजना के घटक:**
  - **मॉडल सोलर विलेज:** प्रत्येक जिले में एक **मॉडल सोलर विलेज** स्थापित किया जाएगा।
  - **नवोन्मेषी परियोजनाएं:** नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी नई पहलों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **सब्सिडी:** इस योजना के तहत परिवारों को रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए **40%** तक की सब्सिडी दी जाती है।
  - यह सब्सिडी **परिवार की औसत मासिक बिजली खपत और उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता** के आधार पर दी जाती है (बॉक्स देखिए)।
- **जमानत-मुक्त ऋण (कोलेटरल फ्री):** परिवारों को **3 किलोवाट तक की रूफटॉप सोलर** प्रणाली स्थापित करने के लिए लगभग **7% की निम्न ब्याज दर पर जमानत-मुक्त ऋण** उपलब्ध कराए जाते हैं।

योजना से मुख्य लाभ

- **सरकारी बचत:** इस योजना से हर साल **75,000 करोड़ रुपये की बिजली लागत बचाने** में मदद मिलेगी।
- **अन्य लाभ:**
  - घरों के बिजली खर्च में कमी आएगी;
  - नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा आदि।

रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए सब्सिडी

औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट में)	उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता (kW में)	सब्सिडी सहायता (रुपये में)
0-150	1-2 kW	30000-60000
150-300	2-3 kW	60000-78000
300 से अधिक	3 kW से अधिक	78000

अन्य सुर्ख़ियां

मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान

मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान (शोला राष्ट्रीय उद्यान) में **गोल्डन-हेडेड सिस्टोला पक्षी** प्रजाति मिली है। यह IUCN रेड लिस्ट में **लिस्ट कंसर्न** के रूप में सूचीबद्ध है।

मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- **अवस्थिति:** इडुक्की (केरल)।
- अनूठे **शोला वन और हाथी गलियारों** की वजह से 2003 में इसे **राष्ट्रीय उद्यान घोषित** किया गया था।
- **वन प्रकार:** सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, शोला घास के मैदान।
  - **शोला घास के मैदान:** ये **पश्चिमी घाट में अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले विशिष्ट पारिस्थितिकी-तंत्र** हैं। इनमें **झाड़ियां और छोटे पेड़ों वाले जंगल (शोला) तथा घास के मैदान** पाए जाते हैं।
- **जैव विविधता:** शेर-पूंछ मकैक, गौर, जंगली सूअर, सांभर हिरण, लंगूर, आदि।
  - शेर-पूंछ मकैक यहां की **स्थानिक (एंडेमिक)** और खतरे का सामना कर रही प्रजाति है।
- **मुख्य जल स्रोत:** उचिलकुथी पुझा, मथिकेतन पुझा, नजंदर आदि। ये **पन्नियार की सहायक नदियां** हैं।
- **सांस्कृतिक महत्त्व:** इस राष्ट्रीय उद्यान के अदुविलनथानकुडी में **मुथवन आदिवासी बस्तियां** मिलती हैं।

टनेज (टन भार) कर प्रणाली

केंद्रीय बजट 2025-26 में **टनेज कर प्रणाली** का विस्तार किया गया है।

टनेज कर प्रणाली के बारे में

- यह योजना पहले **समुद्री जहाजों** के लिए उपलब्ध थी।
- अब **अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (Inland Vessels Act, 2021)** के तहत पंजीकृत **अंतर्देशीय जलयानों (पोतों)** के लिए भी उपलब्ध है। इस कदम का उद्देश्य **जल परिवहन को बढ़ावा** देना है।
- **अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - सुरक्षित और वहनीय अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना;
  - जलयान के पंजीकरण, निर्माण और संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं एवं कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करना।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय।
- **शुरुआत:** टनेज कर प्रणाली **भारतीय वित्त अधिनियम, 2004** के तहत **2004** में पेश की गई थी।
- **महत्त्व:**
  - अधिक माल ढुलाई को बढ़ावा देना;
  - शिपिंग कंपनियों को अंतर्देशीय जलमार्ग जहाजों में निवेश करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेगा।

गर्भिणी-दृष्टि (GARBH-INi-DRISHTI)

केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने **हरियाणा के फरीदाबाद** में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI) में **गर्भिणी-दृष्टि (GARBH-INi-DRISHTI)** लॉन्च किया।

गर्भिणी-दृष्टि क्या है?

- यह **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य** का समग्र परिदृश्य प्रदान करने वाला **डेटा आधारित डैशबोर्ड** है। इस मामले में यह **दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा** डेटा आधारित डैशबोर्ड है।
- **महत्त्व:** इसमें 12,000 से अधिक **गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रसव के बाद माताओं से एकत्र किए गए क्लीनिकल डेटा, इमेज एवं बायोस्पेसिमेन** भंडारित हैं।
- यह प्लेटफॉर्म **GARBH-INi कार्यक्रम के तहत तैयार** किया गया है।
  - GARBH-INi, **जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा समर्थित एक प्रमुख कार्यक्रम** है।
  - **उद्देश्य:** गर्भधारण के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करना।

पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पार्वती अर्ग रामसर साइट पर **विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025** (World Wetlands Day 2025) समारोह का आयोजन किया।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस के बारे में

- **1971 में 'अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन'** पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में **विश्व आर्द्रभूमि दिवस** मनाया जाता है।
- **2025 की थीम:** 'हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा करना' (Protecting Wetlands for our Common Future) .
- **वर्ष 1982 से भारत रामसर-कन्वेंशन का पक्षकार देश** है।

पार्वती अर्ग पक्षी अभयारण्य के बारे में

- **अवस्थिति:** तरबगंज तहसील (**उत्तर प्रदेश**)।
- **पारिस्थितिकी-तंत्र:** इस अभयारण्य में **दो गोखुर झीलें (Oxbow Lake) और ताजे जल की एक स्थायी आर्द्रभूमि** अवस्थित हैं।
  - **गोखुर झील** अर्धचंद्राकार झील होती है। इसका निर्माण तब होता है, जब क्षरण और अवसादों के जमा होने से नदी विसर्प, नदी के मुख्य प्रवाह से कट जाता है। इससे एक अलग जल निकाय का निर्माण होता है। इसे ही गोखुर झील कहते हैं।
- **प्राप्त जैव विविधता:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड **सफेद-पुट्ठे वाले गिद्ध** और **भारतीय गिद्ध;** एंडेंजर्ड **इजिप्शियन गिद्ध,** आदि।
- **पारिस्थितिकी-तंत्र में भूमिका:** पक्षियों के लिए बसेरा बनाने और प्रजनन हेतु अनुकूल पारिस्थितिकी-तंत्र, भूजल पुनर्भरण में योगदान आदि।
- **मुख्य खतरा:** आक्रामक जलकुंभी (water hyacinth) से अन्य पादपों और जीव प्रजातियों को खतरा।

हूलोंगापार गिब्बन अभयारण

हूलोंगापार गिब्बन अभयारण्य के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के भीतर **प्रस्तावित तेल अन्वेषण गतिविधियां, स्थानीय वन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव** डाल सकती हैं।

हूलोंगापार गिब्बन अभयारण्य के बारे में

- **अवस्थिति:** यह **असम के जोरहाट जिले** में अवस्थित है। यह अपनी **नॉन-ह्यूमन प्राइमेट विविधता** के लिए प्रसिद्ध है।
- **वन:** सदाबहार एवं अर्ध-सदाबहार वन।
- **वनस्पति:** वन की **ऊपरी कैनोपी में हूलोंग वृक्ष (डिप्टरोकार्पस मैक्रोकार्पस)** की प्रचुरता है। मध्य कैनोपी में नाहर (मेसुआ फेरिया) की बहुतायत है।
- जीव-जंतु: यहां भारत के एकमात्र **गिब्बन (हूलॉक गिब्बन),** और पूर्वोत्तर भारत के एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट-**बंगाल स्लो लोरिस** पाए जाते हैं।
- **इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र** के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

माउंट टर्नकी (Mount Taranaki)

हाल ही में, **न्यूजीलैंड में माउंट टर्नकी को न्यूजीलैंड में 'लीगल पर्सन'** के रूप में मान्यता दी गई है। माउंट टर्नकी एक **स्ट्रैटोवोलकैनो** है।

- स्ट्रैटोवोलकैनो अधिक ऊंचा, खड़ा और शंक्वाकार ज्वालामुखी है। इसमें **चिपचिपे मैग्मा और अवरुद्ध गैसों** के बाहर निकलने से विध्वंसक उद्गार होता है।

माउंट टर्नकी के बारे में

- माउंट टर्नकी को **ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक ने माउंट एग्मोंट** नाम दिया था। हालांकि, अब इसे **माओरी देशज लोगों** को सम्मान देने के लिए **टर्नकी मौंगा (Taranaki Maunga)** नाम दिया गया है।
- यह न्यूजीलैंड के **एग्मोंट नेशनल पार्क** में स्थित है।
- **माओरी देशज** लोग इसे **अपना पूर्वज मानते** हैं। इसलिए, उनके लिए यह पवित्र पर्वत है।
  - माओरी **आओटेरोआ/ न्यूजीलैंड की स्थानिक एबोरिजिनल (मूलवासी)** आदिवासी और देशज नृजाति हैं।
- इससे पहले **न्यूजीलैंड ने 2014 में ते उरेवेरा फॉरेस्ट (Te Urewera Forest) को "लीगल पर्सनहुड"** का दर्जा प्रदान किया था। इस तरह **किसी प्राकृतिक पारिस्थितिकी-तंत्र को "जीवन का अधिकार" (Living rights) देने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश** है।

एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन

केंद्रीय बजट 2025 में **'कपास उत्पादकता मिशन'** की घोषणा की गई।

- यह 5-वर्षीय मिशन है। इसका उद्देश्य **कपास की खेती की उत्पादकता और संधारणीयता को बढ़ावा देना और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS) कॉटन** की किस्मों का संवर्धन करना है।

एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन (ELS) के बारे में

- यह एक **प्रीमियम कपास किस्म** है। इसके **रेशे की लंबाई 34.925 मि.मी. या इससे अधिक** होती है।
- लगभग **10% कपास क्षेत्र में इस किस्म की खेती** की जाती है। यह किस्म **वैश्विक उत्पादन में 4% का योगदान** देती है।
- **प्रमुख उत्पादक:** संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र, सूडान, भारत, पेरू, इजरायल, चीन आदि।
- **प्रमुख ELS प्रकार: पिमा** (संयुक्त राज्य अमेरिका), **पेरू** (इजरायल), **गीज़ा** (मिस्र), **सुविन व DCH-32** (भारत), **बराकात** (सूडान) आदि।
- **भारत में प्रमुख ELS उत्पादक राज्य:** कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि।

वन की परिभाषा

सुप्रीम कोर्ट ने **अगले आदेश तक केंद्र और राज्यों को वन क्षेत्र कम करने वाला कोई भी कदम उठाने पर रोक** लगा दी है।

- यह निर्णय **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में 2023 के संशोधनों** को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संदर्भ में लिया गया है।
  - संशोधनों को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उन्होंने **लगभग 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि को "वन" के दायरे से बाहर** कर दिया है।
- 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को **टी.एन. गोदावर्मन तिरुमलपाद बनाम भारत संघ वाद, 1996** के फैसले में निर्धारित वन की परिभाषा का पालन करने का निर्देश दिया था।
  - 1996 का निर्णय **स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण के बावजूद,** किसी भी सरकारी (संघ और राज्य) रिकॉर्ड में "वन" के रूप में दर्ज सभी क्षेत्रों को परिभाषित करता है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

साउथ सूडान (राजधानी: जुबा)

साउथ सूडान में **तोपखाने पर बमबारी** हुई।

साउथ सूडान के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - यह एक **स्थलरुद्ध** देश है। यह **2011** में अस्तित्व में आया था। यह **उत्तर-पूर्वी अफ्रीका** में अवस्थित है।
  - **भूमि सीमाएं:** इसके उत्तर में **सूडान;** पूर्व में **इथियोपिया;** दक्षिण में **केन्या, युगांडा व डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो,** तथा पश्चिम में **मध्य अफ्रीकी गणराज्य** स्थित है।
  - **अबेयेई क्षेत्र:** यह एक प्रशासनिक क्षेत्र है, जिस पर साउथ सूडान और सूडान दोनों द्वारा दावा किया गया है।
- **भौगोलिक विशेषताएं**
  - **सबसे ऊंची चोटी:** माउंट किनेटी।
  - **नील नदी प्रणाली:** व्हाइट नील, नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है।
  - **सड वेटलैंड्स:** सड व्हाइट नील नदी द्वारा निर्मित एक विशाल दलदल है।
  - **पारिस्थितिकी-क्षेत्र:** पूर्वी सूडानी सवाना।